भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1453
29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम-किसान योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताएं

1453. श्री गौरव गोगोईः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को असम में पीएम-किसान योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं, विशेषकर कृषि विकास अधिकारियों (एडीओ) और अन्य विभागीय कर्मचारियों की संलिप्तता की जानकारी है;

(ख) घोटाले में संलिप्त पाये गए अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक या कानूनी कार्रवाई की गई है;

(ग) इन अनियमितताओं से अनुमानित वित्तीय नुकसान कितना है और क्या गबन की गई धनराशि की वसूली की जा रही है;

(घ) क्या पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कोई स्वतंत्र या केंद्रीय जांच शुरू की गई है; और

(ङ) देश भर में पीएम-किसान योजना में निगरानी, सत्यापन और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ) पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में कृषि योग्य भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना के अंतर्गत, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि योग्य भूमिधारक होना प्राथमिक पात्रता मानदंड है, जो उच्च आय वर्ग से संबंधित कुछ अपवादों के अधीन है।

भारत सरकार ने प्रारंभ से अब तक 19 किस्तों में किसानों को 3.69 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वितरित की है।

असम सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, असम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के कार्यान्वयन में कुछ अनियमितताएँ और विसंगतियाँ सामने आई हैं। ये अनियमितताएँ फरवरी, 2019 में योजना के आरंभिक दिनों में हुई थीं।

राज्य स्तरीय एक-सदस्यीय जाँच रिपोर्ट की टिप्पणियों और निष्कर्षों के आधार पर, असम राज्य सरकार द्वारा 98 एडीओ सर्किलों में तैनात अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। राज्य द्वारा अपात्र चिन्हित लाभार्थियों से 1.54 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई है।

देश भर में पीएम-किसान योजना की निगरानी, सत्यापन और शिकायत निवारण तंत्र को और मज़बूत बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अब इस योजना का लाभ पीएम-किसान पोर्टल पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सत्यापित आंकड़ों के आधार पर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों को अंतरित किया जाता है। इसके अलावा, किसानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने और योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए, पीएफएमएस (PFMS), यूआईडीएआई (UIDAI) और आयकर विभाग के साथ एकीकरण सहित कई तकनीकी हस्तक्षेप शुरू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, भूमि सीडिंग के साथ-साथ आधार आधारित भुगतान और ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। इन अनिवार्य मानदंडों को पूरा न करने वाले किसानों के लाभ रोक दिये जाते हैं। जैसे ही ये किसान अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें योजना का लाभ उनकी देय किश्तों ,यदि कोई हो, के साथ मिल जाता है।

पीएम-किसान योजना के तहत किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित शिकायत निवारण तंत्र लागू हैं:

- सीपीग्राम्स (CPGRAMS) पोर्टल
- पीएम किसान पोर्टल
- पत्र और ईमेल

शिकायत निवारण को और बेहतर बनाने के लिए, सितंबर 2023 में एआई-आधारित किसान ई-मित्र चैटबॉट लॉन्च किया गया। यह चैटबॉट किसानों के प्रश्नों का चौबीसों घंटे उनकी मातृभाषा में त्वरित, सटीक और स्पष्ट उत्तर प्रदान करता है, जिससे यह प्रणाली अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता-अनुकूल बन जाती है। यह वेब, मोबाइल आदि सभी प्लेटफार्मों पर उपलब्ध है। किसान ई-मित्र चैटबॉट वर्तमान में 11 भाषाओं–अंग्रेजी, हिंदी, उड़िया, तमिल, बंगाली, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु और मराठी–में काम करता है और दिनांक 15.07.2025 तक 53 लाख किसानों के 95 लाख से अधिक प्रश्नों का सफलतापूर्वक समाधान कर चुका है।

****